राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

दिनांक 17 मई, 1988

क्रमांक 587-ज(2)-88/16035.—श्री मौलड़ चन्द, पुत्र श्री भूरे मल, निवासी गांव ब्राह्मण, तहसील व जिला रोहतक, को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948, की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 2179-आर-(4)-67/1906, दिनांक 8 जून, 1967 द्वारा 100 रुपये वार्षिक और बाद में अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा 150 रुपये और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979, द्वारा 150 रुपये से बढ़ा कर 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी।

2. अब श्री मौलड़ चन्द की दिनांक 27 नवम्बर, 1987 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री मौलड़ चन्द की विधवा श्रीमती नानगी देवी के नाम खरीफ, 1988, से 300 रुपये वार्षिक की दर से, सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं।

क्रमांक 588-ज-(2)-88/16039.—श्री अमर सिंह, पुत्र श्री जुगलाल, निवासी गांव रूड़की, तहसील व जिला रोहतक, को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 8146-आर-(4)-67/660, दिनांक 19 फरवरी, 1968, द्वारा 100 रुपये वार्षिक और बाद में अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा 150 रुपये और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979, द्वारा 150 रुपये से बढ़ा कर 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी।

2. अब श्री अमर सिंह की दिनांक 26 अगस्त, 1986, को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री अमर सिंह की विधवा श्रीमती सदा कौर के नाम रबी, 1987, से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं।

क्रमांक 545-ज(I)-88/16045.—श्री हरकिशन, पुत्र श्री धन्नी राम, निवासी गांव खूबड़ू, तहसील गन्नौर, जिला सोनीपत, की पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 327-ज-(II)-80/15048, दिनांक 20 अप्रैल, 1980 द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी।

2. अब श्री हरकिशन, की दिनांक 28 मई, 1986 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री हरकिशन की विधवा श्रीमती चमेली के नाम खरीफ, 1986 से 300 रुपये वार्षिक की दर से, सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत जागीर प्रदान करते हैं।

ईश्वर चन्द गुप्ता,
अवर सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व (लेखा तथा जागीर) विभाग।

INDUSTRIES DEPARTMENT

The 20th May, 1988

No. 35/44/78-41B(I).—The Governor of Haryana is pleased to accord approval to the continuance of existing State Level Committee reconstituted,—*vide* Haryana Government Notification No. 249-51BI-77/1219, dated 16th January, 1977 for scrutinising and settling claims under the Central Outright Grant or subsidy Scheme, 1971 and State Cash Subsidy in the Mewat Area for Faridabad and Gurgaon Districts and other backward areas for Industrial units to be set up in selected backward Districts/Areas of Haryana State as a standing body till further order on the existing terms and conditions.

TIRLOCHAN SINGH,
Commissioner and Secretary to Government, Haryana,
Industries Department.